इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2020—अग्रहायण 6, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1)	मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1)	अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1)	प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

Bhopal, the 18th November 2020

No. F. 2-27-XXVII-2-2001.—The State Government, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification No. 2-27-XXVII-2-2001-1001, Bhopal, dated 30th August, 2001, which was issued under the provisions of Resettlement & Rehabilitation Policy of State of Madhya Pradesh, namely:—

AMENDMENTS

In the said Policy :-

1. In clause 2, for thc word "Mcmbers", the word "benches" shall be substituted.
2. For clause 3, the following clause shall be substituted, namely :-

"3. Either of parties may terminate the contract during the period of contract appointment by giving one month's notice in advance or paying one month's salary in lieu thereof."

3. For clause 4, the following clause shall be substituted, namely :-

"4. The Chairman shall be one of the member of the benches and each bench shall consist of a retired District Judge as Judicial member and a retired IAS Officer/retired Officer of State Civil Service as administrative member."

4. In clause 5, for the words "in consultation with the first Chairman", the words "of Madhya Pradesh" shall be substituted.

5. In clause 8, for the words "in consultation with the first Chairman", the words "of Madhya Pradesh" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. K. BAGHEL, Under Secy.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal, the 19th November 2020

No. 433 F. 1-250-2020-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 132-A of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 and 356 read with Section 127-B of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Municipality (User charges for water Supply, Sewerage and Solid Waste Management Services) Rules, 2020, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In Rule 7, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) **Relating to Municipal Corporations – (At State Level)**

(i)	Commissioner, Directorate of Urban Administration and Development or Officer nominated by him	**Chairman**
(ii)	Concerned Divisional Joint Director, Local Fund Audit	**Member**

(iii)	Joint Director (Finance), Directorate of Urban Administration and Development	**Member**
(iv)	Commissioner, Concerned Municipal Corporation	**Member**
(v)	Engineer-in-Chief, Directorate of Urban Administration and Development	**Member-Secretary.".**

2. For sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"**(2) Relating to Municipal Councils/Nagar Parishads**

(i)	Concerned Divisional Commissioner or Officer nominated by him	**Chairman**
(ii)	Concerned Divisional Joint Director, Local Fund Audit	**Member**
(iii)	Concerned Divisional Joint Director, Urban Administration and Development	**Member**
(iv)	Chief Municipal Officer, concerned Municipality	**Member**
(v)	Concerned Superintendent Engineer, Office of Divisional Joint Director, Urban Administration and Development	**Member-Secretary.".**

3. In rule 16, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the State Government may, from time to time, issue general or specific orders for proper execution of these rules.".

4. After rule 16, the following rule shall be added, namely:-

"17. All rules, sub-rules, bye-laws orders etc. If any, enforced for the time being on this subject, shall stand repealed on the date of publication of these rules in the Madhya Pradesh Gazette.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल—462 016

Bhopal, the 25th November 2020

No. -1381./MPERC/2020 - In exercise of power conferred under section 181(2) (zd) read with Section 45 and section 61 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) ,the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Chargcs) Regulations, [2015(RG-35(II) of 2015]" .

Whereas, the Commission had notified Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of tariff for Supply and wheeling of Electricity and Methods & Principles for Fixation of Charges) Regulations, (Second Amendment) Regulations, [2015(RG-35(II)(ii) of 2015on 14th November 2019 is applicable up to 31st March, 2021. In order to specify the terms and conditions for Distribution Tariff for the next Financial Year 2021-22, these Regulations are being amended.

Short title and Commencement:

(i) These Regulations shall be called the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) (Third Amendment) Regulations, 2015"

(ii)These Regulations shall come in force with effect from 01.04.2021, and unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall remain in force for a period of one year, i.e., up to 31.03.2022.Except for the following amendments, all other provisions and term & conditions of principal Regulations shall remain unchanged.

(iii)These Regulations shall extend to the whole of State of Madhya Pradesh.

Amendment to Regulations 1.3, 8.1 , 8.4 , 16, 17.1, 25.1, 31.3,34.6 (b) (i) and (ii)

In Principal Regulations, under Regulations 1.3, 8.1 and 16 the word " 31st March 2019" shall be substituted by the word "31st March 2022".

In Principal Regulations, under Regulations 8.4, the word "31st October every year" shall be substituted by "31stDecember for FY2021-22".

In principal Regulations, under Regulations 17.1, the word "threeyears" shall be substituted by the word "Six years".

In Principal Regulations, under Regulations 25.1, the normative distribution loss level trajectory for control period of these Regulations shall be substituted as per table below

Sr. No.	Distribution Licensee	FY16-17	FY17-18	FY18-19	FY19-20	FY20-21	FY21-22
1	East Discom	18%	17%	16%	16%	16%	16%
2	West Discom	16%	15.5%	15%	15%	15%	14%
3	Central Discom	19%	18%	17%	17%	17%	17%
4	SEZ ,Pithampur	2.0%	1.9%	1.8%	1.8%	1.5%	1.5%

In Principal Regulations, under Regulations 31.3 , the year "2018-19" shall be substituted by year "2021-22"

In PrincipalRegulations, theRegulations 34.6(b) (i) & (ii) shall be substituted as under:

(i) Employee expenses excluding dearness allowance, NPS expenses , pension , terminal benefits and incentive to be paid to employees: (Rs. in Crore)

FY	East Discom	West Discom	Central Discom	SEZ Pithampur
2016-17	385	403	359	0.98
2017-18	396	415	370	1.01
2018-19	408	428	381	1.04
2019-20	1080	1133	1009	2.75
2020-21	1080	1133	1009	2.75
2021-22	913	801	814	1.33

ii) A& G expenses (Rs. in Crore)

FY	East Discom	West Discom	Central Discom	SEZ Pithampur
2016-17	168	129	96	1.91
2017-18	179	138	103	2.04
2018-19	192	147	110	2.18
2019-20	205	157	118	2.33
2020-21	205	157	118	2.33
2021-22	121	114	106	2.11

The information required in the formats annexed with the Principal Regulations ,shall be applicable for FY2021-22 also .

By order of the Commission,

SHAILENDRA SAXENA, Secretary.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2020

अधि.क्र. 434–एफ–1–15–2018–अठारह–3.– मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 संन 1956) की 14 की उप–धारा (2) के साथ पठित धारा 433 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 संन् 1961) की धारा 32 की उप–धारा (2) के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 2 में,–

(1) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए; अर्थात्:–

"(घ) "निर्वाचन" से अभिप्रेत है, किसी नगरपालिका में स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन और इसमें सम्मिलित है, यथास्थिति, किसी नगरपालिक निगम के महापौर या किसी नगरपालिका या नगर परिषद् के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाए जाने के संबंध में निर्वाचन;"।

(2) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"(ज–1) "महापौर" से अभिप्रेत है, किसी नगरपालिक निगम का महापौर;"।

(3) खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"(झ–1) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, किसी नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् का अध्यक्ष;"।

2. नियम 21 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(क) "महापौर, अध्यक्ष या पार्षद् के स्थान के निर्वाचन हेतु नामनिर्देशन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करेगा, जो सूचना के

प्रकाशन की तारीख के पश्चात् सातवें दिन या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो, तो उसके आगामी दिन, जो सार्वजनिक अवकाश न हो की होगी;"।

3. नियम 25 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"25. (1) नियम 21 के खण्ड (क) के अधीन नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी, या तो व्यक्तिशः या अपने प्रस्तावक के द्वारा नियम 21 के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के दौरान तथा स्थान पर रिटर्निंग आफिसर या उस प्रयोजन के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग आफिसर को, सम्यक्रूप से पूर्ण विहित प्ररूप में और अभ्यर्थी द्वारा तथा महापौर या अध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में प्रस्तावक के रूप में नगरपालिका के किसी वार्ड के किसी मतदाता द्वारा और किसी वार्ड से पार्षद् के निर्वाचन के मामले में उस वार्ड के किसी मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित नामनिर्देशन–पत्र प्रस्तुत करेगा :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन मतदाता के रूप में किसी निरर्हता के अध्यधीन है, प्रस्तावक के रूप में किसी नामनिर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने का पात्र नहीं होगा।

(2) इस नियम में कोई भी बात किसी अभ्यर्थी, एक से अधिक नामनिर्देशन पत्रों द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने से नहीं रोकेगीः

परन्तु किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से दो से अधिक नामनिर्देशन–पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे या रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।"

4. नियम 26 में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए; अर्थात्:–

"(1) किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा, जब तक कि उसने नियम 25 के अधीन नामनिर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने उसके पूर्व या प्रस्तुत करते समय या रिटर्निंग आफिसर के पास निम्नलिखित राशि नगद रूप में जमा न कर दी हो या जमा न करवा दी हो, अर्थात् :–

(क) "पार्षद" के स्थान के लिए,–
(एक) किसी नगर परिषद् को रू 1000/– की राशि;
(दो) किसी नगरपालिका परिषद् को रू 5000/– की राशि;
(तीन) किसी नगरपालिक निगम को रू 10000/– की राशि;

(ख) किसी नगर परिषद् के अध्यक्ष के स्थान के लिए रू 10,000/– की राशि;

(ग) किसी नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष के स्थान के लिए रू 15,000/– की राशि;

(घ) किसी नगरपालिक निगम के महापौर के स्थान के लिए रू 20,000/– की राशिः

परन्तु, जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो वहां, इस नियम के अधीन उससे उपरोक्त राशि का केवल आधा निक्षिप्त करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) जहां किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र द्वारा प्रस्तावित किया गया हो वहां उससे, उप–नियम (1) के अधीन एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी।"।

5. नियम 72 में, उप नियम 6 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए; अर्थात्:–

"(क) नगरपालिका का नाम तथा उस पद की नामावली जिससे मतपत्र संबंधित है, जैसे महापौर, अध्यक्ष या पार्षद;"

6. अध्याय आठ के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाए; अर्थात्:–

"अध्याय आठ–क

महापौर/अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाए जाने के संबंध में मतदान

75–क. महापौर/अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाए जाने के संबंध में प्रकिया का प्रारंभ.– यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उप–धारा (3) के अधीन या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उप–धारा (3) के अधीन निर्देश प्राप्त हो, राज्य निर्वाचन आयोग, यथास्थिति, महापौर या अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने के संबंध में निर्वाचन प्रकिया तुरंत आरंभ करेगा और उसे छह मास के भीतर पूर्ण करेगा।

75–ख. वर्तमान नियमों का स्थिति के अनुसार लागू बने रहना.– अध्याय आठ–क के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अध्याय एक से आठ तथा अध्याय नौ के नियम, ऐसे परिवर्तनों के साथ लागू बने रहेंगे, जैसा आयोग उचित समझे।

75–ग. मतदान की सूचना तथा उसके लिए समय–सारणी.– निर्वाचन आयोग द्वारा विहित समय–सारणी के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी प्ररूप–25 में सूचना द्वारा –

(एक) मतदान की तारीख और समय विनिर्दिष्ट करेगा;

(दो) मतगणना का स्थान, तारीख तथा समय विनिर्दिष्ट करेगा ।

75–घ. नियम 75–ग के अधीन सूचना के प्रकाशन की रीति.– नियम 75–ग के अधीन सूचना, मतदान के लिए विहित तारीख से कम से कम बीस दिन पूर्व सूचना की एक प्रति निम्नलिखित के सूचना पटलों पर चिपकाकर प्रकाशित की जाएगी –

(एक) जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका);

(दो) रिटर्निंग ऑफिसर (संबंधित नगरपालिका);

(तीन) संबंधित नगर पालिका, और

रिटर्निंग ऑफिसर उक्त सूचना की एक प्रति संबंधित महापौर/अध्यक्ष को या उसके अभिकर्ता को परिदत्त करेगा।

75–ड. मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन.– रिटर्निंग ऑफिसर, इन नियमों के अनुसार, मतदान केन्द्रों की पर्याप्त संख्या का उपबंध करेगा और नियम 75–ग के अधीन जारी की गई सूचना के साथ मतदान केन्द्रों तथा ऐसे मतदान क्षेत्रों को, जिनके लिए वे बनाए जाएंगे, दर्शित करते हुए एक सूची प्रकाशित करेगा।

75–च. प्रतीकों का आबंटन.– राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अध्यधीन रहते हुए रिटर्निंग ऑफिसर संबंधित महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने तथा पद पर बने रहने के लिए पृथक्–पृथक् प्रतीक विहित करेगा और उसे प्ररूप 26 में प्रकाशित करेगा।

75–छ. नियम 75–च के अधीन प्ररूप 26 के प्रकाशन की रीति.– प्ररूप 26, नियम 75–ग के अधीन निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही प्रकाशित किया जाएगा और ऐसा प्रकाशन निम्नलिखित कार्यालयों के सूचना पटलों पर सूचना चिपकाकर किया जाएगा :

(एक) जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका),

(दो) रिटर्निंग ऑफिसर (संबंधित नगरपालिका),

(तीन) संबंधित नगरपालिका, और

रिटर्निंग ऑफिसर, प्ररूप 26 की एक प्रति संबंधित महापौर/अध्यक्ष या उसके अभिकर्ता को भी परिदत्त करेगा।

75–ज. मतदान के परिणाम की घोषणा.– रिटर्निंग ऑफिसर, जहां तक संभव हो मतगणना के ठीक पश्चात् प्ररूप 27 में मतदान के परिणाम की घोषणा करेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी

को उसकी दो सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रतियां भेजेगा, जिसमें से एक अभिलेख के लिए होगी और दूसरी प्रति उसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अग्रेषित की जाएगी।

75–झ. महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने के संबंध में निर्वाचन के परिणाम की अधिसूचना.– महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने के संबंध में निर्वाचन का परिणाम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

75–ञ. रिक्ति की अधिसूचना.– यदि, मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या में से आधे से अधिक ने संबंधित महापौर या अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने के पक्ष में अपना मतदान किया है, तब यथास्थिति, संबंधित महापौर या अध्यक्ष का पद, परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से रिक्त समझा जाएगा और ऐसी रिक्ति की सूचना, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

7. नियम 79–क में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(1) नगरपालिका के किसी निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष या पार्षद् का स्थान मृत्यु, अनर्हता, त्यागपत्र, बिना अनुमति अनुपस्थिति, निर्वाचन अपास्त किये जाने आदि जैसे किसी भी कारण से रिक्त हो जाने पर, यथास्थिति, नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या आयुक्त ऐसी रिक्ति के बारे में इसके होने की तारीख से सात दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देगा।"।

8. अध्याय दस में, शब्द "महापौर/अध्यक्ष" जहां कहीं भी वे आए हों उनके स्थान पर, शब्द "महापौर/अध्यक्ष/पार्षद्" स्थापित किए जाएं।

9. नियम 83 में, शब्द "महापौर या अध्यक्ष" के स्थान पर, शब्द "महापौर या अध्यक्ष या पार्षद" स्थापित किए जाएं।

10. प्ररूप 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–2

(नियम 21 देखिए)

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका).....

पार्षद् / महापौर / अध्यक्ष / के निर्वाचन की सूचना

क्रमांक.....मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद् / नगर परिषद् के महापौर / अध्यक्ष / पार्षदों** के निर्वाचन के संबंध में एतद्द्वारा, निम्नलिखित सूचना देता हूं कि:–

(क) अनुसूची के कालम (2) में वह / वे स्थान विनिर्दिष्ट हैं जिसके / जिनके लिए निर्वाचन होना है;

(ख) पार्षद् / पार्षदों के निर्वाचन के मामले में, संबंधित वार्ड / वार्डों के क्रमांक, अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट हैं;

(ग) अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारी, निर्वाचन का संचालन करने हेतु रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) होगा;

(घ) अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही नामनिर्देशन करने का स्थान, अंतिम तारीख और समय होगा;

(ङ) अनुसूची के कालम (6) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही नामनिर्देशन की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय होगा;

(च) अनुसूची के कालम (7) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, तारीख और समय होगा;

(छ) अनुसूची के कालम (8) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही जिसके दौरान मतदान होगा, मतदान की तारीख और समय होगा;

(ज) अनुसूची के कालम (9) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, ही मतों की गणना करने का स्थान, तारीख और समय होगा।"।

स्थान.....

तारीख.....

.....

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

जिला.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे कांट दें.

अनुसूची

नगरीय निकाय का नाम	स्थान/स्थानों का विवरण जिसके/जिनके लिए निर्वाचन होगा यथा महापौर/अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक (केवल पार्षद् के निर्वाचन की दशा में)	रिटर्निंग आफिसर का नाम तथा पद नाम	नाम निर्देशन करने का स्थान, अंतिम तारीख और समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

नामनिर्देशन की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय	अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, अंतिम तारीख और समय	वह तारीख तथा समय जिसके दौरान मतदान होगा	मतों की गणना का स्थान, तारीख और समय
(6)	(7)	(8)	(9)

स्थान.....

तारीख.....

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

जिला

नाम.....

मोहर.....

11. प्ररूप 2–क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप 2–क

(नियम 22–क देखिए)

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका).....

सूचना

विषय–स्थानों के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सूचना।

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 22–क के अनुसरण में, एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्..... के महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् के जिस स्थान/जिन स्थानों के लिए निर्वाचन होना है, उसके/उनके आरक्षण की स्थिति निम्नांकित तालिका में दर्शाई गई है:–

तालिका

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा महापौर/अध्यक्ष/पार्षद)	वार्ड क्रमांक (केवल पार्षद् के निर्वाचन के मामले में)	आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित. जाति–महिला/ अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जनजाति–महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग–महिला/सामान्य/सामान्य–महिला)
(1)	(2)	(3)

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

जिला.....

नाम

मुहर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

नगरपालिका निर्वाचन

"प्ररूप–3

(नियम–24(2) देखिए)

नामनिर्देशन पत्र

मैं, प्रस्तावक, *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद निर्वाचन के लिए निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ :–

निर्वाचन के पद का विवरण

जिला			
*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का नाम			
*पद का नाम, जिसके निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नाम निर्दिष्ट किया जा रहा है.	महापौर	अध्यक्ष	पार्षद्
पार्षद् के लिए नामनिर्देशन की स्थिति में सम्बंधित वार्ड का क्रमांक			

अभ्यर्थी का हाल ही का स्टाम्प आकार का फोटो

(2 से.मी.X 2.5से.मी.), पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

अभ्यर्थी का विवरण

1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम			
2.	*लिंग	पुरूष	महिला	अन्य
3.	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम			
4.	अभ्यर्थी के डाक का पूरा पता			

5. अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद /नगर परिषद का वार्ड क्रमांक जिसमें अभ्यर्थी का नाम दर्ज है	मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक जिसमें अभ्यर्थी का नाम दर्ज हैं	मतदाता सूची में अभ्यर्थी का अनुक्रमांक

प्रस्तावक का विवरण

6.	प्रस्तावक का पूरा नाम			
7.	*लिंग	पुरूष	महिला	अन्य
8.	प्रस्तावक के पिता/पति का नाम			
9.	प्रस्तावक के डाक का पूरा पता			
10.	प्रस्तावक का मोबाईल नम्बर			

11. प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का वार्ड क्रमांक जिसमें अभ्यर्थी का नाम दर्ज है	मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता क्रमांक

*जो शबद लागू न हो उसे काट दें.

.....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक

नाम

अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन की सम्मति

मैं ऊपर उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूँ और मेरे बारे में आवश्यक जानकारियाँ निम्नानुसार है –

12.	जन्मतिथि	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y		
13.	संवीक्षा तिथि को पूर्ण होने वाली आयु (वर्ष में)										
14.	जाति वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ /अन्य पिछड़ा वर्ग)										
15.	जाति का नाम आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में										
16.	जाति के लिए अधिसूचित जिले का नाम										
17.	**राजनैतिक दल का नाम, जिसके द्वारा निर्वाचन में खड़ा किया गया है										
18.	अधिमान क्रम में चुने गये प्रतीक चिन्ह	1.									
		2.									
		3.									
19.	मतपत्र में मुद्रित किए जाने वाला नाम (हिन्दी में)										
20.	मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाले अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग										
21.	अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर										

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार ऊपरवर्णित जानकारी सत्य है तथा मैं उपर्युक्त *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् के *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक

नाम

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़

अनुक्रमांक	दस्तावेज़ का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–24(क) के तहत् आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.	
2.	प्ररूप–8 राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–31(2) के तहत्	
3.	प्ररूप–9 राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–31(2) के तहत्	
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति.	
5.	प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-35 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.	
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-35 के अंतर्गत *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.	
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ.	
9.	अन्य –	
10.	अन्य –	

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिये.

**राजनैतिक दल द्वारा खड़ा न किये जाने की स्थिति में सम्मुख कॉलम में "निर्दलीय" अंकित कीजिए.

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाये)

1.	नामनिर्देशन पत्र का अनुक्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़ों का विवरण, जिसके सम्बंध में अभ्यर्थी को पावती दी गई है.

(कॉलम क्रमांक–3 एवं 4 में वही जानकारी अंकित की जाये जो अभ्यर्थी की पावती में अंकित की गई है.)

अनुक्रमांक	दस्तावेज़ का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो उक्त दस्तावेज़ रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समयसीमा	
			दिनांक एवं समय	अवसर
1	2	3	4	5
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–24(क) के अनुसार आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में **शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति** के साथ.		शपथपत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
2.	**प्ररूप–8** राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–31(2) के अधीन			अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व
3.	**प्ररूप–9** राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–31(2) के अधीन			अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अधिसूचित दिनांक एवं समय के पूर्व
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी **जाति प्रमाणपत्र की प्रति.**			संवीक्षा की अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व
5.	**प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.**		प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा–17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–35 के अधीन **विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.**			संवीक्षा के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा–17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–35 के अधीन ***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.**			संवीक्षा के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का **स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ.**			अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व
9.	अन्य –			
10.	अन्य –			

***जो शब्द लागू न हो उसे काट दें.**

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका) के
हस्ताक्षर

नाम

नामनिर्देशन पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित करने के सम्बंध में रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र का परीक्षण मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–28 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूँ :– (**)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका) के
हस्ताक्षर

नाम

मुहर

**यदि नामनिर्देशन पत्र प्रतिक्षेपित किया जाता है तो उसके कारण लिखे जायें.

***महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् के अभ्यर्थी को प्रदान करने के लिए नामनिर्देशन पत्र की पावती और संवीक्षा करने की सूचना.**

1.	नामनिर्देशन पत्र का अनुक्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक
5.	अभ्यर्थी का नाम		
6.	*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का नाम		
7.	पद का नाम जिसके निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है. (पार्षद् की स्थिति में वार्ड क्रमांक भी अंकित किया जाये)		
8.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि		
9.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का समय		
10.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का स्थान		

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़ों का विवरण

अनुक्रमांक	दस्तावेज़ का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो उक्त दस्तावेज़ रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समयसीमा	
			तारीख एवं समय	अवसर
1	2	3	4	5
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–24(क) के के अनुसार आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में **शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति** के साथ.		शपथपत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
2.	**प्ररूप–8** राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–31(2) के अधीन			नामवापसी के लिए अधिसूचित तिारीख एवं समय के पूर्व
3.	प्ररूप–9 राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–31(2) के अधीन			नामवापसी के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी **जाति प्रमाणपत्र** की प्रति.			संवीक्षा के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व
5.	**प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.**		प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–17/ मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–35 के अधीन विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–17/ मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–35 के अधीन *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ.			नामवापसी के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व
9.	अन्य —			
10.	अन्य —			

*जो लागू न हो उसे काट दें.

दिनांक

.....

रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका) के हस्ताक्षर

नाम

मुहर

13. प्ररूप 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–4

(नियम 27 देखिए)

नामनिर्देशन की सूचना

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के**

***महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.**

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ऊपर वर्णित निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित नामनिर्देशन आज 03:00 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुए हैं :–

नाम निर्देशन–पत्र का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/*पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु	पता	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए जातियों/जनजातियों या अन्य वर्गों की विशिष्टियां	मतदाता सूची में अभ्यर्थी का क्रमांक (भाग अनुक्रमांक..... अनुक्रमांक.....)	प्रस्तावक का नाम	मतदाता सूची में प्रस्तावक का अनुक्रमांक (भाग अनुक्रमांक..... अनुक्रमांक.....)
(7)	(8)	(9)	(10)

स्थान.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

नाम.....

मुहर.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

14. प्ररूप 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–5

[नियम 28(8) देखिए]

विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के**
***महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.**

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/*पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

स्थान.....

तारीख.....

समय

.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

नाम.....

मुहर.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

15. प्ररूप 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–6

[नियम 29 (1) देखिए]

अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए आवेदन

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.**

***नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन।**

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

.....

मैं, ... जो कि ऊपरवर्णित निर्वाचन में विधिमान्यता नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी हूं, एतद्द्वारा सूचना देता/देती हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता/लेती हूं।

02. तारीख को मेरी ओर से आपको प्रस्तुत *किया गया/किए गए नामनिर्देशन *पत्र/पत्रों की प्राप्ति की अभिस्वीकृति में जो *रसीद/रसीदें दी गई थीं वे इसके साथ मूल रूप से संलग्न है।

स्थान.....

तारीख.....

.....

विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए।

यह सूचना.....(नाम) के द्वारा जो **.....है; (तारीख) को(बजे) मुझे मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई थी।

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

नाम.....

मुहर.....

अभ्यर्थिता वापस लेने के आवेदन के लिए रसीद
(आवेदन परिदत्त करने वाले व्यक्ति को दी जाए)

श्री.....द्वारा, जो कि *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् के वार्ड क्रमांक..... से *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् के लिए निर्वाचन में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थिता वापस लेने का आवेदन.....(**) द्वारा तारीख..... को (बजे) मुझे मेरे कार्यालय में परिदत्त किया गया.

.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

नाम.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए,

**यहां नीचे दिये विकल्पों में से एक समुचित विकल्प अंतःस्थापित करें (1) अभ्यर्थी (2) अभ्यर्थी का प्रस्तावक (3) अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता

16. प्ररूप 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–7

[नियम 29 (4) देखिए]

अभ्यर्थिता वापस लिए जाने की सूचना

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.**

***नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष**

.....का निर्वाचन।

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में निम्नलिखित विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने अपनी अभ्यर्थिता/अभ्यर्थिताएं आज वापस ले ली हैं :–

विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी का नाम (1)	विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी का पता (2)	अभ्युक्ति (3)
1.		
2.		
3.		

तारीख.....

.....

रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका)

नाम.....

मुहर.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

17. प्ररूप 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–8

[नियम 31 (2) दो देखिए]

राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के नामों के संबंध में सूचना

प्रति,

रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका)

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....

जिला.....

विषयः– नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्*.....

जिला.....के *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् का निर्वाचन, दल के अभ्यर्थियों के नाम.

महोदय,

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 31 के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा, सूचना देता हूं कि ऊपर वर्णित आगामी नगरपालिका निर्वाचन/निर्वाचनों में(दल) द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति अपने अभ्यर्थी के रूप में खड़े किए गए हैं:–

पद का विवरण यथा महापौर/ अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड का क्रमांक (केवल पार्षद् के निर्वाचन के मामले में)		अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी का डाक का पता
	अंकों में	शब्दों में			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्रतिस्थानी अभ्यर्थी का नाम (जो अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम संवीक्षा में प्रतिक्षेपित होने पर या उसके लड़ने से हट जाने पर अभ्यर्थी के स्थान पर आएगा)	प्रतिस्थानी अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम	प्रतिस्थानी अभ्यर्थी का डाक का पता
(7)	(8)	(9)

स्थान

..... (दल की मोहर)

भवदीय,

.....

हस्ताक्षर

(दल की जिला इकाई के
प्राधिकृत पदधारी का नाम और हस्ताक्षर)
नाम.....

प्रतिलिपिः–

कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(नगरपालिका) जिला.....
की ओर सूचनार्थ.

स्थान.....

तारीख..... (दल की मोहर)

हस्ताक्षर

(दल की जिला इकाई के प्राधिकृत
पदधारी का नाम और हस्ताक्षर)
नाम.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

18. प्ररूप 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–9

[नियम 31 (2) (चार) देखिए]

राजनैतिक दल द्वारा पदधारी को प्राधिकृत किये जाने की सूचना

.....दल मध्यप्रदेश

प्रति,

रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका)

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....

जिला.....

विषयः–नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्*.....

जिला.....के *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् का निर्वाचन, दल के अभ्यर्थियों के नामों की सूचना देने के लिए पदधारियों को प्राधिकृत किया जाना.

महोदय,

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 31 के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा, यह सूचित करता हूं कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में इस दल द्वारा जो (मध्यप्रदेश राज्य में एक) राष्ट्रीय दल/राज्य दल है, खड़े किए गए अभ्यर्थियों के नाम संसूचित करने के लिए इस दल द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है:–

नामों की संसूचना भेजने के लिए प्राधिकृत पदधारी का नाम	दल की जिला इकाई में उसके द्वारा धारित पद का नाम	जिला/जिले जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया हैं
(1)	(2)	(3)

2. ऊपर उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों, जो इस प्रकार प्राधिकृत किया गया/किये गये/है/है,के नमूना हस्ताक्षर नीचे दिये गए हैं:–

नाम	नमूना हस्ताक्षर
एक. श्री.....	एक.
दो. श्री.....	दो.
तीन. श्री.....	तीन.

भवदीय,

स्थान.....

तारीख..... (दल की मोहर)

हस्ताक्षर

अध्यक्ष/सचिव

दल का नाम.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

19. प्ररूप 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–10

[नियम 32 देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.**

***नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष**

.....का निर्वाचन।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल से सम्बद्धता	अभ्यर्थी की फोटो	आवंटित प्रतीक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					

स्थान.....

तारीख.....

समय

.....

रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका)

नाम.....

मुहर.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

20. प्ररूप 11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–11

[नियम 33(1) देखिए]

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.**

***नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष**

.....का निर्वाचन।

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

.....

मैं.....निवासी.....जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, एतद्द्वारा श्री.....निवासी..... को ऊपर वर्णित निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूं।

स्थान.....

तारीख..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम.....)

मैं, ऊपर वर्णित नियुक्ति को स्वीकार करता हूं.

स्थान.....

तारीख..... निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

समय..... (नाम.....)

अनुमोदित

.....

रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम.....

मुहर.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

21. प्ररूप 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–12

[नियम 34 (1) देखिए]

मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.**

***नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष**

.....का निर्वाचन।

मैं,.....जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, *ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता हूं, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती.....पता को मतदान केन्द्र क्रमांक.....*(मतदान के लिये नियत स्थान).....में उपस्थित रहने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूं।

स्थान.....
तारीख.....

.....
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम.....)

मैं, ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूं,

स्थान.....
तारीख.....

.....
मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम.....)

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

मतदान अभिकर्ता की घोषणापीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं

मैं, एतद्द्वारा, यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में साधारणतः निर्वाचन और विशिष्टतः मत दिये जाने की गोपनीयता से संबंधित विधि तथा नियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी।

.....
मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम.....)

तारीख.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए

.....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम.....)

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

22. प्ररूप 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–13

[नियम 35 (1) देखिए]

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.**

***नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन।**

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

.....

मैं..... जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, *ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता हूं, एतद्द्वारा श्री/कु./श्रीमती..... पता.....को (गणना के लिये नियत स्थान).....पर होने वाली मतों की गणना में उपस्थित रहने हेतु अपने गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूं.

स्थान.....

तारीख..... *अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम.....)

मैं, ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं.

स्थान.....

तारीख..... गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम.....)

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

गणन अभिकर्ता की घोषणा पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाए

मैं, एतद्द्वारा, यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में साधारणतः निर्वाचन और विशिष्टतः मत दिये जाने की गोपनीयता से संबंधित विधि तथा नियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी.

.....

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम.....)

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

(नाम.....)

मुहर.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

23. प्ररूप 14 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–14

(नियम 39 देखिए)

निर्विरोध निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.**

***नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन।**

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 39 के उपनियम (1) के अनुसार में, मैं घोषित करता हूं कि:–

.....(नाम)

.....(पता)

द्वारा प्रायोजित

****जो (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का नाम).....द्वारा खड़े किये गए/खड़ी की गई, ऊपर वर्णित निर्वाचन में महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् के रूप में सम्यक्रूप से निर्वाचित हुए है।

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

(मुहर.....)

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

**यदि अपेक्षित न हो तो उसे काट दीजिए.

24. प्ररूप 15 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–15

(नियम 49(2)(ग) देखिए)

अभ्याक्षेपित मतों की सूची

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के**

वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.

***नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष**

..... का निर्वाचन।

प्रविष्टि का अनुक्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियां		अभ्याक्षेपित व्यक्ति के अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर
		मतदाता सूची का भाग क्रमांक	मतदाता का अनुक्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अभ्याक्षेपित व्यक्ति का पता	पहचानकर्ता का नाम, यदि कोई हो	अभ्याक्षेपकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	निक्षेप वापस प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

तारीख.....

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

25. प्ररूप 16 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–16

(नियम 52(1) देखिए)

अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा–पत्र

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.**

***नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष**

.....का निर्वाचन।

मैं.....पिता.....

आयु.....निवासी.....पता.....

.....

एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि –

(क) मैंने आज तारीख.....को किसी मतदान केन्द्र पर अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है;

(ख) मैं, श्री/कु./श्रीमती.....जो मतदाता सूची के अनुक्रमांक..... भाग क्रमांक.....पर दर्ज है के निमित्त मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी.

स्थान.....

तारीख.....

साथी के हस्ताक्षर

(नाम.....)।"।

प्रतिहस्ताक्षरित

पीठासीन अधिकारी

मतदान केन्द्र क्रमांक.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

26. प्ररूप 17 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"**प्ररूप–17**

(नियम 54 (2) देखिए)

निविदत्त मतों की सूची

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्**.....**के वार्ड क्रमांक**.....**से पार्षद् का निर्वाचन।**

***नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष****का निर्वाचन।**

अनुक्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियां		मतदाता का पता	निविदत्त मतपत्र का अनुक्रमांक	व्यक्ति को, जिसने मत डाल दिया, जारी किए गए मतपत्र का अनुक्रमांक	मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
		मतदाता सूची का भाग क्रमांक	मतदाता का अनुक्रमांक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

तारीख.....

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम.....)।"।

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

27. प्ररूप 17–क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

प्ररूप–17–क

(नियम 63 ट के उप नियम (1)(क) देखिए)

मतदाता रजिस्टर

(जहां इलेक्ट्रानिक कोटिग मशीन द्वारा मतदान किया जाएगा)

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के

महापौर/अध्यक्ष तथा वार्ड क्रमांक से पार्षद् का निर्वाचन।

अनुक्रमांक	मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक	मतदाता द्वारा अपनी पहचान के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरे	मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

तारीख.....

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

28. प्ररूप 18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–18

(नियम 57 देखिए)

मतपत्र लेखा

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के वार्ड क्रमांक से पार्षद् का निर्वाचन.

*नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन।

मतदान केन्द्र का क्रमांक..... और नाम.....

		अनुक्रमांक		कुल संख्या
		कहां से	कहां तक	
1.	पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्र			
2.	उपयोग में न लाए गए मतपत्र			
3.	मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्र (1–2=3)			
4.	मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र			
	क. मुद्रण की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्र			
	ख. निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्र			
	ग. रद्द किए गए मतपत्र			
	योग (क+ख+ग)			
5.	मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र (3–4=5) (*अनुक्रमांक देने की आवश्यकता नहीं है)			

स्थान.....

तारीख.....

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

भाग–दो – प्रारंभिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी (मतपेटियों). में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या.....

2. इस भाग में मद 1 में दर्शाई गई कुल संख्या और भाग–1 की मद 5 में दर्शायी गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या मे कोई अंतर, यदि कोई हो.....

तारीख.....

.....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

(नाम.....)

.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

(नाम.....)

29. प्ररूप 18—क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"प्ररूप—18—क

(नियम 63 थ देखिए)

भाग 1—अभिलिखित मतों का लेखा

नगरपालिक निगम/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन तथा वार्ड क्रमांक से पार्षद् का निर्वाचन

मतदान केन्द्र क्रमांक और नाम.....नियंत्रण इकाई क्र.....
मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का पहचान संख्यांक मतदान इकाई क्र. 1.....
2.....

प्रिन्टर क्र.(यदि प्रयुक्त हुआ है).....

डिटेचबल मेमोरी मॉडयूल (डी.एम.एम.) का संख्यांक.....

1. मतदान केन्द्र में नियत निर्वाचकों की कुल संख्या.....
2. मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या.....
3. मतदान मशीन में अभिलिखित मतदाताओं की संख्या.....
4. नियम 63ठ के उपबंध के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या.....
5. मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या (2—3—4 = 5).....
6. निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....

अनुकमांक

कुल.....से तक

(क) प्रयोग के लिए प्राप्त.....
(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए.....
(ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए.....

7. कागज की मुहरों का लेखा		मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1. उपयोग के लिए प्रदाय की गई कागज की मुहरें.	कुल सं..... अनुकमांक से.....तक	1..... 2.....
2. प्रयुक्त हुई कागज की मुहरें	कुल सं..... अनुकमांक से.....तक	3..... 4.....
3. रिटर्निंग आफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की मुहरें.	कुल सं..... अनुकमांक से.....तक	5..... 6.....
4. नष्ट हुई कागज की मुहरे यदि कोई हों	कुल सं..... अनुकमांक से.....तक	

.....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान क्रेन्द्र क्र.....

स्थान.....
तारीख.....

भाग—2

प्रारंभिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ई.व्ही.एम.) में पाए गए मतों की कुल संख्या.....

2. भाग 1 के शीर्ष—3 के साथ इस भाग के शीर्ष—1 में गए मतों की कुल संख्या मे कोई अंतर, यदि कोई हो.....

तारीख.....

स्थान.....

.....
गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
नाम.....

.....
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर
नाम.....

30. प्ररूप 19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–19

[नियम 63 (2) देखिए]

निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र के लिए आवेदन

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.**

***नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष**

.....का निर्वाचन।

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

.....

जिला.....

महोदय,

मैं, ऊपर वर्णित निर्वाचन में अपना मत देना चाहता/चाहती हूं, मुझे *नगरपालिक निगम/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....के मतदान केन्द्र क्रमांक.....पर निर्वाचन कर्त्तव्य पर नियुक्त किया गया है।

2. मेरा नाम ऊपर वर्णित नगरपालिक निगम/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के वार्ड क्रमांक.....की मतदाता सूची के भाग अनुक्रमांक..... के भाग क्रमांक..... पर प्रविष्ट है।

3. निवेदन है कि मुझे एक निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजें, ताकि मैं अपना मत दे सकूं।

पता : भवदीय,

.....

..... (नाम.....)

.....

स्थान.....

तारीख.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

31. प्ररूप 19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"**प्ररूप–19–क**

[नियम 63 (4) (क) देखिए]

लिफाफा–क

(क) गणना के पूर्व न खोला जाए

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक..... के लिए *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् का निर्वाचन.

निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र

मतपत्र का अनुक्रमांक....."

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

32. प्ररूप 19–ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

प्ररूप–19–ख

[नियम 63 (4) (ख) देखिए]

लिफाफा–ख

(ख) गणना के पूर्व न खोला जाए

निर्वाचन तत्काल

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के

*महापौर/अध्यक्ष/ वार्ड क्रमांक..... से पार्षद् का निर्वाचन.

निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

.....

जिला.....

.....

भेजने वाले के हस्ताक्षर।"।

33. प्ररूप 19–ग के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–19–ग

[नियम 63 (4) (ग) देखिए]

निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ मतदाता द्वारा घोषणा

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के**
***महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक.....के पार्षद्** का निर्वाचन.

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैं वह मतदाता हूं जिसे क्रमांक..... वाला निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र जारी किया गया है.

तारीख.....

.....
मतदाता के हस्ताक्षर
(नाम.....)
पता.....
.....
.....

हस्ताक्षर का अभिप्रमाणन्

ऊपर वर्णित(मतदाता) ने, जिसे मैं, व्यक्तिगत रूप से जानता/जानती हूं/जिसे.....पहचानकर्ता ने, जिसे मैं, स्वयं जानता/जानती हूं, मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं.

.....
पहचानने वाले के हस्ताक्षर, यदि कोई हो

नाम.....

पता.....

.....

.....
अभिप्रमाणनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम.....)

पदनाम.....

पता.....

.....

तारीख.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

34. प्ररूप 19–घ के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–19–घ

[नियम 63 (4) (घ) देखिए]

निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
*महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.

1. इसके साथ भेजे गए मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित हैं वे उक्त वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं. आप जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने इस प्रायोजन से दिए गए स्थान पर स्पष्ट रूप से चिन्ह लगाकर अपना मत अभिलिखित करें। चिन्ह ✓ या × या किसी अन्य रीति में ऐसे स्थान पर लगाया जा सकता है जिससे स्पष्ट और बिना किसी संदेह के परे यह उपदर्शित हो जाए कि आप किस अभ्यर्थी को अपना मत दे रहे हैं. यदि चिन्ह इस प्रकार लगाया गया है जिससे यह संदेह हो कि आपने अपना मत किस अभ्यर्थियों को दिया है तो आपका मत अविधिमान्य हो जाएगा.
2. मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के लिए अपेक्षित चिन्ह से भिन्न न तो अपने हस्ताक्षर करें न कोई शब्द लिखें, न ही कोई लेखन चिन्ह लगांए।
3. मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात मतपत्र को आप इसके साथ भेजे गए "क" चिन्हित छोटे लिफाफे में रखे. लिफाफे को बंद कर दें और उसे मुहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित रूप से बंद कर दें.
4. फिर आप प्ररूप 19 ग में इसके साथ भेजी गई घोषणा पर नीचे विनिर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके अपने हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करा लें–

 (क) यदि आप शासकीय सेवक हैं या किसी नगरपालिका अथवा सरकारी उपक्रम के कर्मचारी हैं तो जहां आप कार्यरत् हैं उस कार्यालय का कार्यालय प्रमुख.

 (ख) कोई राजपत्रित अधिकारी, जो आपको जानता है या उस मतदान केन्द्र का, जिस पर आप निर्वाचन–कर्त्तव्यारूढ़ हैं, पीठासीन अधिकारी.

(ग) नायब तहमुहरदार से अनिम्न श्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी.

आप यह घोषणा ऊपर वर्णित विनिर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी के पास ले जाएं और आपकी पहचान के बारे में उसका समाधान हो जाने के पश्चात् उसकी उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर यह अधिकारी आपके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करके घोषणा आपको लौटा देगा। आप अपना मतपत्र अभिप्रमाणन अधिकारी को नहीं दिखाए और न ही उसे यह बताएं कि आपने किस को मत दिया हैं.

5. आपकी घोषणा हस्ताक्षरित हो जाने और आपके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित किए जाने के पश्चात आप प्ररूप 19–ग में घोषणा और साथ ही "क" चिन्हित में छोटा लिफाफा (जिसमें मतपत्र रखा गया है) को "ख" चिन्हित बड़े लिफाफे में रखें। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात इसे रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) को डाक से या संदेश वाहक के मार्फत भेजे अथवा उसे व्यक्तिशः परिदत्त करें. कृपया "ख" चिन्हित बड़े लिफाफे को रिटर्निंग आफिसर को भेजने या सौंपने के पूर्व उस पर अंकित प्रविष्टियों की पूर्ति कर लें.
6. आप यह सुनिश्चित कर लें कि मतगणना हेतु नियत समय और तारीख के पूर्व पर अर्थात को पूर्वाह्न/अपराह्न.....बजे के पूर्व लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंच जाए.
7. कृपया यह भी ध्यान रखें कि :–

(एक) यदि आप अपनी घोषणा ऊपर उपदर्शित रीति में अभिप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा;

(दो) यदि लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास नियत समय और तारीख के पश्चात पहुंचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी.

35. प्ररूप 20 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–20

[नियम 66 (10) देखिए]

निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्रों की गणना का परिणाम

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.

*नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन।

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों (3)

2. (क) विधिमान्य निर्वाचन कर्त्तव्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) अविधिमान्य निर्वाचन कर्त्तव्य मतों की कुल संख्या.....

(ग) प्राप्त हुए कुल विधिमान्य निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्रों की संख्या.....

स्थान.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

(नाम.....).

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

36. प्ररूप 21 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–21

[नियम 66 (10) देखिए]

गणना का परिणाम

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.

*नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन।

मतदान केन्द्र क्रमांक.....

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

2. (क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ग) डाले गए मतों की कुल संख्या.....

.....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

(नाम.....)

.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

(नाम.....)

स्थान.....

तारीख.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

37. प्ररूप 21–क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–21–क

(नियम 69 ख देखिए)

गणना का परिणाम

(जहां इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से निर्वाचन कराया जाएगा)

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के

महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद् का निर्वाचन.

(महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद् के लिये पृथक–पृथक भरा जाए)

मतदान केन्द्र क्रमांक

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन नियंत्रण यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

(क) अन्डर/नो वोट की संख्या

(ख) अपूर्ण मतों की संख्या

(ग) उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा).....

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता का नाम तथा
पूर्ण हस्ताक्षर

स्थान
तारीख

.....
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर
(नाम.....)

38. प्ररूप 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–22

नियम 69 (3) देखिए

अंतिम परिणाम–पत्र

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के *महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.

*नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन।

अंतिम परिणाम–पत्र

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य निर्वाचन कर्त्तव्य मतों की संख्या (3)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की मतदान केन्द्रवार संख्या (4)						महायोग (5)
			मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्र क्रमांक	(3+4)

2. (एक) विधिमान्य मतों की कुल संख्या

(दो) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या

(तीन) डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या

(चार) विधिमान्य निर्वाचन कर्त्तव्य मतों की कुल संख्या

(पांच) अविधिमान्य निर्वाचन कर्त्तव्य मतों की कुल संख्या

(छह) डाले गये निर्वाचन कर्त्तव्य मतों की कुल संख्या

(सात) उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा)".....

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर.....

(नाम).

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग अधिकारी (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम"

39. प्ररूप 23 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–23

(नियम 74 देखिए)

निर्वाचन की घोषणा सह–विवरणी

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के**

वार्ड क्रमांक से पार्षद् का निर्वाचन.

***नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष**

.....का निर्वाचन।

(1) निर्वाचन की विवरणी

क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	दल से सम्बद्धता (3)	प्राप्त हुए मतों की संख्या (4)

मतदाताओं की कुल संख्या.....

डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) मतों की कुल संख्या.....

प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या.....

निविदत्त मतों की कुल संख्या.....

(2) विवरणी के आधार पर निर्वाचन की घोषणा

मैं घोषित करता हूं कि :–

.....(नाम)

.....(पता)

.....

सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं/हुई हैं।

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग आफिसर (न.पा.)

(नाम.....)

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए।

40. प्ररूप 24 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–24

(नियम 75 देखिए)

निर्वाचन का प्रमाण–पत्र

मैं *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्..... जिला.....का लिए रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने.....(सन्) के(माह) की तारीख.....को यह घोषित कर दिया है कि श्री/श्रीमती/कु..... निवासी..... जो(मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की है, *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पार्षद..... के महापौर अध्यक्ष वार्ड कमांक से पार्षद् के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन का प्रमाण–पत्र प्रदान किया है।

स्थान.....
तारीख.....

हस्ताक्षर.....
रिटर्निंग आफिसर (न.पा.)
नाम.....
मुहर.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए।

41. प्ररूप 25 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–25

(नियम–75–ग देखिए)

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला.....

महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने संबंध में निर्वाचन की सूचना

क्रमांक.....मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–24 की उपधारा (2)/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–47 की उप धारा (2) के अधीन मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, ने राज्य निर्वाचन आयोग को नगरपालिक निगम..... के महापौर/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के अध्यक्ष श्री/श्रीमती..... को वापस बुलाने के संबंध में मतदान कराने का निर्देश इस आधार पर किया है, कि तीन–चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये गए हैं;

यतः मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–24 की उप धारा (3)/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–47 की उप धारा (3) के अधीन उक्त महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने के संबंध में नियमानुसार मतदान की व्यवस्था करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मुझे निदेश दिया है;

अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 75–ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं.....जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला..... नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के उक्त महापौर/अध्यक्ष श्री/श्रीमती.....को वापस बुलाए जाने के संबंध में मतदान के लिए एतद्द्वारा निम्नानुसार सूचना देता हूं :–

(एक) मतदान दिनांक.....को बजे पूर्वान्ह से.....बजे अपरान्ह तक होगा.

(दो) मतगणन दिनांक.....को स्थान.....पर,.....बजे

पूर्वान्ह से.....बजे अपरान्ह तक होगी।

(तीन) इस मतदान के लिए श्री.....कलक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रिटर्निंग आफिसर होंगे।

स्थानः–

दिनांकः– जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

जिला.....

नाम.....

42. प्ररूप 26 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–26

(नियम–75–च देखिए)

महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में मतदान

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के महापौर/अध्यक्ष श्री/श्रीमती.....को वापस बुलाने के संबंध में मतदान

नाम	मतदान का विकल्प	प्रतीक
(1)	(2)	(3)
.....	क–वापस बुलाने के लिए (पद रिक्ति के लिए)	
.....	ख–वापस बुलाने के विरूद्ध (पद पर पूर्ववत् बने रहने के लिए)	

स्थानः रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

तारीखः नाम.....

।" ।

43. प्ररूप 27 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–27

(नियम–75–ज देखिए)

महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में मतदान के परिणाम की घोषणा

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्..... के महापौर/अध्यक्ष श्री/श्रीमती.....को वापस बुलाने के संबंध में दिनांक.....को हुए मतदान में कुल.....मत पड़े, जिनमें से.....मत वापस बुलाने के पक्ष में तथा.....मत वापस बुलाने के विरूद्ध थे, तथा.....मत अवैध पाये गये थे।

अतएव, मैं....., रिटर्निंग ऑफिसर, एतद्द्वारा, यह घोषणा करता हूं कि मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक/आधे से कम मतदाताओं ने महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के पक्ष में मतदान किया है जिसके परिणामस्वरूप महापौर/अध्यक्ष, पद मुक्त माना जायेगा/पद पूर्ववत् धारण करता रहेगा।

हस्ताक्षर (रिटर्निंग आफिसर).....

स्थान..... नाम.....

तारीख....."

Noti.No. 434 F 1-15/2018/18-3 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 read with 433 of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and section 355 read with sub-section (2) of section 32 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961, the State Government, in consultation with the State Election Commission, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Nagar Palika Nirvachan Niyam, 1994, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In Rule 2,-

(1) For clause (d) the following clause shall be substituted, namely:-

"(d) "Election" means an election to fill a seat or seats in Municipality and includes the election in relation to recall the Mayor of a Municipal Corporation or the President of a Municipality or Nagar Panchayat from his office as the case may be;".

(2) After clause (h), the following clause shall be added, namely: -

"(h-1)"Mayor" means the Mayor of a Municipal Corporation;".

(3) After clause (i), the following clause shall be added, namely: -

"(i-1) "President" means the President of a Municipal Council or a Nagar Parishad;".

2. In rule 21, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: -

"(a) the last date, time and place for making nominations for election to the seat of 'Mayor, President or Councillor' which shall be the seventh day after the date of publication of the notice or if that day is public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;".

3. For rule 25, the following rule shall be substituted, namely : -

"25. (1) On or before the date appointed under clause (a) of rule 21 each candidate shall either in person or by his proposer deliver to the Returning Officer or Assistant Returning Officer so authorised by the Returning Officer for that purpose, during the time and at the place specified in the notice issued under rule 21, a duly completed nomination paper in the prescribed form and signed by the candidate and in case of election of the Mayor or President, by a voter of any ward of the municipality and in case of election of Councillor from any ward, by a voter of that ward as proposer:

Provided that any person who is subject to any disqualification as voter under the Act shall not be eligible to sign any nomination paper as proposer.

(2) Nothing in this rule shall prevent any candidate from being nominated by more than one nomination paper:

Provided that not more than two nomination papers shall be presented by or on behalf of any candidate or accepted by the Returning Officer.".

4. In rule 26, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely, -

"(1) A candidate shall not be deemed to be duly nominated for election unless he has deposited or caused to be deposited in cash, either before or at the time of presentations of nomination paper under rule 25, with the Returning Officer, the following amount, namely:-

(a) for the seat of 'Councillor'-
 (i) of Nagar Parishad, a sum of Rs. 1000/- ;
 (ii) of Municipal Council, a sum of Rs. 5000/-;
 (iii) of Municipal Corporation, a sum of Rs. 10,000/-;
(b) for the seat of President of a Nagar Parishad, a sum of Rs. 10,000/-;
(c) for the seat of President of a Municipal Council, a sum of Rs. 15,000/-;
(d) for the seat of Mayor of a Municipal Corporation, a sum of Rs. 20,000/- :

Provided that where a candidate is a woman or a member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes, she/he shall be required to deposit only half of the above amount as deposit under this rule.

(2) Where the candidature of a candidate has been proposed by more than one nomination paper, not more than one deposit shall be required of her/him under sub-rule (1).".

5. In rule 72, in sub-rule (6), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely,:-

"(a) The name of the Municipality and nomenclature of the seat to which the ballot paper relates, such as Mayor, President or Councillor;".

6. After chapter VIII, the following chapter shall be inserted, namely :-

"CHAPTER-VIII-A
POLLING IN RELATION TO RECALL OF THE MAYOR/PRESIDENT FROM HIS OFFICE

75-A.Commencement of the process in relation to recall of Mayor/President from his office.- When a reference under sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 or under sub-section (3) of Section 47 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 as the case may be is received, the State Election Commission shall forthwith initiate the election process in relation to recall the Mayor or the President as the case may be and shall complete it within six months."

75-B. Present Rules to remain applicable according to situation.- For the purpose of Chapter VIII-A, the Rules from Chapter one to eight and Chapter nine of the Madhya Pradesh Nagar palika Nirvachan Niyam, 1994 shall be applicable with such changes as the Commission may deem proper.

75-C.-Notice of poll and time schedule therefore.-In accordance with the time schedule prescribed by the Election Commission, the District Election Officer shall by notice in form 25-

(i) specify the date and time of polling;

(ii) specify the place, date, and time of counting of votes.

75-D.-Manner of publication of Notice under Rule 75-C.- Notice under Rule 75-C shall be published at least twenty days before the date prescribed for polling by affixing one copy of the notice on the notice boards of the following:-

(i) District Election Officer (Municipality);

(ii) Returning Officer (Concerned Municipality);

(iii) Concerned Municipality, and

the Returning Officer shall deliver a copy of the said notice to the concerned Mayor/President or to his agent.

75-E. Publication of the list of Polling Stations.- The Returning Officer shall in accordance with these rules, provide sufficient numbers of polling stations and along with the notice issued

under Rule 75-C shall publish a list showing the polling stations and polling areas for which they shall be set up.

75-F. Allotment of Symbols.- Subject to the direction of State Election Commission, the Returning Officer shall prescribe symbols separately for recalling and for continuing in office of the concerned Mayor/President and shall publish the same in Form 26.

75-G.The manner of publication of Form 26 under Rule 75-F.- Form 26 shall be published along with the publication of the notice of election under Rule 75-C and such publication shall be made by affixing the notices on the notice boards of the following offices:

(i) District Election Officer (Municipality);
(ii) Returning Officer (Concerned Municipality);
(iii) Concerned Municipality; and

the Returning Officer shall also deliver one copy of Form 26 to the concerned Mayor/President or to his agent.

75-H. Declaration of the result of Poll.- The Returning Officer, as far as possible, immediately after counting of votes shall declare the result of poll in Form 27 and shall send its two duly signed copies to the District Election Officer, out of which one shall be for record and the other shall be forwarded by him to the State Election Commission.

75-I. Notification of the result of election in relation to recall of Mayor/President.-The result of election in relation to recall of Mayor/President shall be notified by the State Election Commission in the official Gazette.

75-J. Notification of Vacancy.- If, out of the total number of voters casting their votes, more than half have cast their votes in favour of recalling the concerned Mayor or the President, the office of the concerned Mayor or the President, as the case may be, shall be deemed to be vacant with effect from the date of declaration of the result and the notice of such vacancy shall be notified by the State Government in the official Gazette.".

7. In rule 79-A, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) On occurrence of a vacancy of an elected Mayor, President or Councillor of a municipality, due to any reason such as death, disqualification, resignation, absence without leave, setting aside of election etc., the Chief Executive Officer or the Commissioner of the Municipality, as the case may be, shall inform the District Election Officer about such vacancy within seven days from the date of its occurrence.".

8. In Chapter X, for the words "Mayor/President" wherever they occur, the words, "Mayor/President/Councillor shall be substituted.

9. In rule 83, for the words "Mayor or President", the words, "Mayor or President or Councillor shall be substituted.

10. In form-2, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 2

(See rule 21)

OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER (MUNICIPALITY).....

NOTICE OF ELECTION OF COUNCILLOR/MAYOR/PRESIDENT

No.....In exercise of the powers conferred by rule 21 of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, I..... District Election Officer (Municipality).....do here give the following notice in relation to the Election of Mayor/President/ Councillors** of the Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Council, specified in column (1) of the Schedule hereto:-

(a) The seat/seats for which election is to be held is/are specified in column (2) of the schedule;

(b) In the case of election of the Councillor/s the number/s of the concerned wards/s is/are specified in column (3) of the schedule;

(c) The officer specified in column (4) of the Schedule will be the Returning Officer for conducting the election;

(d) The place, date and time specified in column (5) of the schedule will be the place, last date and time for making nominations;

(e) The place, date and time specified in column (6) of the schedule will be the place, last date and time for the scrutiny of nominations;

(f) The place, date and time specified in column (7) of the schedule will be the place, last date and time for withdrawal of candidature;

(g) The place, date and time specified in column (5) of the schedule will be the place, last date and time during which the poll shall be taken;

(h) The place, date and time specified in column (5) of the schedule will be the place, last date and time for the counting of votes"."

Place..... District Election Officer (Municipality)

Date..... District....."

11. In form-2-A, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 2-A

(See rule 22-A)

OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER (MUNICIPALITY).....

NOTICE

Subject – Notice regarding Status of Reservation of seats

In pursuance of Rule 22-A of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, it is hereby notified for general information that the status of reservation of the seat/seats of Mayor/President/Councillor of the **Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....for which election is to be held, is as shown in the following table :-

TABLE

Particulars of the seat for which election is to be held (e.g. Mayor/President/ Councillor)	The number of wards (in the case of election of Councillor only)	Status of reservation (e.g. SC/SC-Woman/ST/ST-Woman/ OBC/OBC-Woman/Gen./Gen-Woman
(1)	(2)	(3)

(sd/-).....

Place..... District Election Officer (Municipality)

Date..... District.....

Name....."

Seal

SCHEDULE

Name of Municipality	Particulars of the seat/seats for which election will be held e.g. Mayor/ President/ Councillor	The number of ward (in the case of election of Councillor only)	Name and designation of the Returning officer	Place, date and time for making nominations
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Place, date and time for scrutiny of nominations	Place, date and hour for withdrawal of candidature	Date and time during which poll shall be taken	Place, date and time for counting of votes
(6)	(7)	(8)	(9)

Place.....

Date.....

District Election Officer (Municipality)

District.....

Name.....

Seal..... ."

12. In form 3, the following form shall be substituted, namely :-

M.P. State Election Commission

MUNICIPAL ELECTION

"FORM - 3

[See Rule - 24(2)]

Nomination Paper

I, Proposer, Nominate the following for the election of * ठनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवदद ठनदपबपचंसपजलष्ठनदपबपचंस ब्वनदबपस :—

Details of the Post of Election

District				Place to affix a recent **Stamp size** (2cm X 2.5cm) photograph with clear frontal face image.
**Name of the* Municipal Corporation/ Municipality/Municipal Council				
**Name of Post, for which candidate is Nominated for election*	*Mayor*	*President*	*Councillor*	
Ward No. in case of Nomination for the post of councillor				

Details of the Candidate

1.	*Candidate's full Name*			
2.	**Sex*	*Male*	*Female*	*Other*
3.	*Father's/Husband's name of candidate*			
4.	*Full postal address of candidate*			
5. Details of Candidate's name entered in voter list				
**Ward No. of* Municipal Corporation/ Municipality/Municipal Council *where candidate name is entered*	*Part No. of the voter list where candidate's name is entered*	*Candidate's serial No. in the voter list.*		

Details of the Proposer

6.	*Full Name of Proposer*										
7.	**Sex*	*Male*			*Female*			*Other*			
8.	*Father/Husband's name of Proposer*										
9.	*Full postal address of Proposer*										
10.	*Mobile No. of the Proposer*										
11. Details of Proposer's name entered in voter list											
**Ward No. of* Municipal Corporation/ Municipality/Municipal Council *where proposer name is entered*	*Part No. of the voter list where proposer's name is entered*	*Proposer's serial No. in the voter list.*									

.....

Date

Signature/Thumb impression of Proposer

Name

Consent by the Candidate for Nomination

I, the above mentioned candidate, assent to this nomination and my details are ...

12.	Date of Birth	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
13.	Age, as on date of scrutiny (in Years)								
14.	Caste/Category (Unreserved/SC/ST/OBC)								
15.	Caste Name (In case a member of reserved category)								
16.	Name of notified district for caste								
17.	**Name of political party by which the Candidate is set up								
18.	Choice of symbols in preference order	1.							
		2.							
		3.							
19.	Name to be printed on Ballot Paper (in Hindi)								
20.	English spelling of Candidate's name to be printed on Ballot Paper								
21.	Mobile No. of Candidate								

The above said information is true to the best of my knowledge and belief, I am qualified and not also disqualified for being chosen to the seat of Mayor/President/Councilor in the above mentioned Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council.

.....

Signature/Thumb impression of Candidate

Date

Name

Enclosed documents with nomination paper

S.No.	Details of Documents	Enclosed (Yes/No)
1.	**Affidavit with two extra signed copies** regarding declaration of information relating to Criminal antecedent assets, liabilities and educational qualification as per rule 24(A) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.	
2.	**Form-8** In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.	
3.	**Form-9** In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.	
4.	Copy of **Caste certificate** issued by competent officer of Government of Madhya Pradesh in case of a member of reserved category.	
5.	**Receipt of Security Deposit.**	
6.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 **No Dues Certificate from Electricity Company** regarding no outstanding due.	
7.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 **No Dues Certificate from Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council** regarding no outstanding due.	
8.	**An extra Stamp size colour photograph** of the candidate for printing on Ballot Paper.	
9.	Other -	
10.	Other -	

***Strike out the word not applicable.**

****If not being set up by any political party, write "Independent" in the adjacent column.**

.....

Signature/Thumb impression of Candidate

Date

Name

(To be filled by the Returning Officer)

1.	Serial Number of Nomination Paper		
2.	Date of presentation of Nomination Paper before Returning Officer		
3.	Time of presentation of Nomination Paper before Returning Officer		
4.	*Person, who has presented the Nomination Paper before Returning Officer	Candidate	Proposer

Details of documents enclosed with the Nomination Paper, for which receipt is provided to the candidate

(in column number 3 & 4, fill in same details as it is written in the receipt, handed over to the candidate)

S. No.	Details of document	Enclosed (Yes/No)	If not enclosed, then time limit for submission of the perticular document to the Returning Officer	
			Date & Time	Occasion
1	2	3	4	5
1.	**Affidavit with two extra signed copies** regarding declaration of information relating to Criminal antecedent assets, liabilities and educational qualification as per rule 24(A) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.		Affidavit is mandatory to be submitted only at the time of presenting Nomination Paper to the Returning Officer.	
2.	**Form-8** In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
3.	**Form-9** In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
4.	Copy of **Caste certificate** issued by competent officer of Government of Madhya Pradesh in case of a member of reserved category.			Before scheduled date and time of scrutiny.
5.	**Receipt of Security Deposit.**		Receipt of Security Deposit is mandatory to be submitted only at the time of presentation of Nomination Paper to the Returning Officer.	
6.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 **No Dues Certificate from Electricity Company** regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.
7.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 **No Dues Certificate from Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council** regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.
8.	**An extra Stamp size colour photograph** of the candidate for printing on Ballot Paper.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
9.	Other -			
10.	Other -			

***Strike out the word not applicable.**

Date.....

Signature of Returning Officer (Municipality)
Name.....

Decision of Returning Officer Accepting or Rejecting the Nomination paper

I have examined this Nomination Paper in accordance with Rule-28 of the Madhya Pradesh Municipalities Election Rules, 1994 and decide as follows :- (**)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Signature of Returning Officer (Municipality)
Name.....
Seal

Date.....

"In case nomination paper is rejected, state the reasons therefor.

Receipt of Nomination Paper and Notice of scrutiny to be handed over to the Candidate

1.	Serial Number of Nomination Paper		
2.	Date of Presentation of Nomination before Returning Officer		
3.	Time of Presentation of Nomination before Returning Officer		
4.	*Person, who has presented the Nomination before Returning Officer	Candidate	Proposer
5.	Name of Candidate		
6.	*Name of Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council		
7.	Name of post for which the Nomination paper is presented for election (write ward number in case of the Councillor)		
8.	Date of scrutiny of Nomination Paper		
9.	Time of scrutiny of Nomination Paper		
10.	Place of scrutiny of Nomination Paper		

Details of documents enclosed with the Nomination paper

S. No.	Details of document	Enclosed (Yes/No)	If not enclosed, then time limit to present the above document to the Returning Officer	
			Date & Time	Occasion
1	2	3	4	5
1.	**Affidavit with two extra signed copies** regarding declaration of information relating to Criminal antecedent assets, liabilities and educational qualification as per rule 24(A) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.		Affidavit is mandatory to be submitted only at the time of presenting Nomination paper to the Returning Officer.	
2.	**Form-8** In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
3.	**Form-9** In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
4.	Copy of **Caste certificate** issued by competent officer of Government of Madhya Pradesh in case of a member of reserved category.			Before scheduled date and time of scrutiny.
5.	**Receipt of Security Deposit.**		Receipt of Security Deposit is mandatory to be submitted only at the time of presenting the Nomination paper to the Returning Officer.	
6.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 **No Dues Certificate from Electricity Company** regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.
7.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 **No Dues Certificate from Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council** regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.
8.	**An extra Stamp size colour photograph** of the candidate for printing on Ballot Paper.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature. "
9.	Other -			
10.	Other -			

***Strike out the word not applicable.**

Date.....

.....

Signature of Returning Officer (Municipality)

Name

13. In form 4, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 4

(See rule 27)

NOTICE OF NOMINATION

Election of Councillor form ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

Notice is hereby given that the following nominations in respect of the above election have been received up to 03:00 p.m. today.

No. of the Nomination paper	Name of the candidate	Name of Father/*husband	Age of the candidate	address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Party affiliation	Particulars of castes or tribes for candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes or other Backward Classes	No. of the Candidate in the voters' List (Part No..... S.No.....)	Name of Proposer	S. No. of the proposer in Voters list (Part No..... S.No.....)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

.....

Place.....
Date.....

Returning Officer (Municipality)
Name.....
Seal....."

*Strike off the inappropriate alternative.

14. In form 5, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 5

[See rule 28(8)]

LIST OF VALIDLY NOMINATED CANDIDATES

Election of Councillor form ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

S. No.	Name of the candidate	Name of Father/*husband	Address of the candidate	Party affiliation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

.....

Place..... Returning Officer (Municipality)

Date..... Name.....

Time..... Seal..... ."

*Strike off the inappropriate alternative.

15. In form 6, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 6

[See rule 29(1)]

APPLICATION FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

Election of Councillor form ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

To,

The Returning Officer (Municipality)

.....

I, ... a candidate validly nominated at the above election do hereby give notice that I withdraw my Candidature.

02. The *receipt/receipts given in acknowledgement of the nomination *Paper/papers submitted to you on.....(date) on my behalf *is/are enclosed herewith in original.

.....

Place..... Signature of validly nominated candidate

Date.....

*Strike off the inappropriate alternative.

This notice was delivered to me at my office at(hour) on.....(dated) by.....(name).....

Dated.....

.....

Returning Officer (Municipality)

Name.....

Seal.....

Receipt for notice of withdrawal

(To be handed over to the person delivering the notice)

The notice of withdrawal of candidate by..... a validly nominated candidate at the Election of *Mayor/President/Councillor from ward No..... of *Municipal Corporation/Municipal Council/ Nagar Council was delivered to me by (**) at my office at(hour) on(date). "

Dated.....

.....

Returning Officer (Municipality)

Name.....

*Strike off the inappropriate alternative.

**Here insert one of the following alternatives as may be appropriate: - (1) Candidate (2) Candidate's Proposer (3) Candidate's Election agent.

16. In form 7, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 7

[See rule 29(4)]

NOTICE OF WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

Election of Councillor form ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

Notice is hereby given that following validly nominated *Candidate/Candidates at the above election*has/have withdrawn *his/their candidature today.

Name of validly nominated candidate	Address of validly nominated candidate	Remark
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

Dated.....

.....

Returning Officer (Municipality)

Name.....

Seal....."

*Strike off the inappropriate alternative.

17. In form 8, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 8

[See rule 31(2) (ii)]

NOTICE AS TO NAMES OF CANDIDATES SET UP BY THE POLITICAL PARTY

To,

The Returning Officer (Municipality)
Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Council.....
District.....

Subject:- Election of Mayor/President/Councillor* to Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....District.....Name of Party Candidates.

Sir,

In pursuance of Rule 31 of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994 I hereby give notice that the following persons have been set up by(party) as its candidates at the ensuring Municipal Election cited above.

Particulars of the seat e. g. Mayor/ President/ Councillor	**The no. of Ward** (in the case of election for councillor only)		Name of the approved candidate	Father's/ Husband's name of the approved candidate	Postal address of the approved candidate
	In figure	In word			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Name of the substitute candidate (who will step in, in the event of the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or his withdrawing from the contest)	Father's / Husband's Name of the substitute candidate	Postal address of the Substitute candidate
(7)	(8)	(9)

Yours faithfully,

Place..... Name and signature of the authorized officer

(Seal of the Party) bearer of the District unit of the Party.

Copy to: -

The Collector and District Election Officer (Municipality)
District.....for information

Place..... Name and signature of the authorized

Date..... (Seal of the Party) person of the party

*Strike out the inappropriate alternative.

18. In form 9, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 9

[See rule 31(2) (iv)]

NOTICE OF AUTHORIZED OF OFFICE BEARER UP BY THE POLITICAL PARTY PARTY, MADHYA PRADESH

To,

The Returning Officer (Municipality)
Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Council.....
District.....

Subject:- Election of Mayor/President/Councillor* to Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....District.....Authorization of office bearer for intimating the names of Party Candidates. .

Sir,

In pursuance of Rule 31 of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994 I hereby communicate for the following person (s) has/have been authorized by the party, which is a National party/State party in the State of Madhya Pradesh, to intimate the names of the candidates proposer to be set up by the Party at the election cited above:-

Name of office bearer authorized	Name of office held in the District unit of the party	District(s) in respect of which he has been authorized
(1)	(2)	(3)

2. The specimen signature of the above mentioned office bearer of the District Unit of the Party so authorized are given below: -

	Name	Specimen Signature
i.	Shri.....	(i)
ii.	Shri.....	(ii).....
iii.	Shri.....	(iii).....

Yours faithfully,

Place.....
Date.....

President/Secretary Name of the Party

(Seal of the Party)

*Strike out the inappropriate alternative.

19. In form 10, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 10

[See rule 32]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election of Councillor form ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

S. No	Name of Candidate	Address of Candidates	Party Affiliation	Candidate Photo	Symbol Allotted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 2. 3.					

.....

Place..... Returning Officer (Municipality)

Date..... Name.....

Time..... Seal.....

*Strike off the inappropriate alternative.

20. In form 11, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 11

[See rule 33(1)]

APPOINTMENT OF ELECTION AGENT

Election of Councillor form ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

To,

The Returning Officer (Municipality)

.....

I,.....resident of
a candidate at the above election do hereby appoint.....
resident of as my election agent from this day at the above election.

Place
Date.....

.....
signature of candidate
(Name.....)

I accept the above appointment

Place.....
Date.....

.....
signature of Election agent
(Name.....)

Approved

.....
Signature of the Returning Officer (Municipality)

Place.....

Date.....

Name.....

Time.....

Seal.....

*Strike off the inappropriate alternative.

21. In form 12, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 12

[See rule 34(1)]

APPOINTMENT OF POLLING AGENT

Election of Councillor form ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

I, ...*a candidate/the election agent of..... Who is a candidate at the above election, do hereby appoint (Name)..... address..... as polling agent to attend polling station no..... at (place fixed for the poll).

Place.....

Date..... Signature of*candidate/election agent

(Name.....)

I agree to act as such polling agent

Place.....

Date..... Signature of polling agent

(Name.....)

DECLARATION OF POLLING AGENT TO BE SIGNED BEFORE PRESIDING OFFICER

I hereby declare that at the above election I will not do anything forbidden by law and rules pertaining to elections in general and secrecy of voting in particular.

.....

Signature of polling agent

(Name.....)

Signed before me

Date.....

Presiding Officer

(Name.....)

*Strike off the inappropriate alternative.

22. In form 13, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 13
[See rule 34(1)]
APPOINTMENT OF COUNTING AGENT

Election of Councillor form ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

To,

The returning officer (municipality)
.....

I, ...*a candidate/the election agent of..... Who is a candidate at the above election, do hereby appoint (Name).....address..... as my counting agent to attend the counting of votes at..... (place fixed for the counting).

Place.....

Date..... Signature of*candidate/election agent

(Name.....)

I agree to act as such counting agent

Place.....

Date..... Signature of counting agent

(Name.....)

DECLARATION OF COUNTING AGENT TO BE SIGNED BEFORE RETURNING OFFICER

I hereby declare that at the counting of votes of the above election, I will not do anything forbidden by law or rules pertaining to elections is general and secrecy of voting in particular.

.....

Signature of counting agent

(Name.....)

Signed before me

Date.....

Signature of Returning Officer (Municipality)

(Name.....)

Seal

*Strike off the inappropriate alternative.

23. In form 14, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 14

[See rule 39]

DECLARATION OF RESULT OF UNCONTESTED ELECTION

Election of Councillor form ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

In pursuance of sub-rule(1) of rule 39 of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, I declare that.....(Name)

.....(Address)

**Sponsored by.....

(Name of the recognized Political Party)

Has been duly elected as Mayor/President/Councillor in the above mentioned election.

Place.....

Date.....

Signature.....

Returning officer (municipality)

(Seal.....)

*Strike off the inappropriate alternative.

**Strike off if not required.

24. In form 15, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 15

[See rule 49(2) (c)]

LIST OF CHALLENGED VOTES

Election of Councillor form ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

S. No. of entry	Name of the voter	Particular of entry in Voter's list		Signature or thumb impression of the person challenged	Address of the person challenged
		Part number of Voter's list	Voter's serial number		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Name of identifier if any	Name of Challenger	Order of Presiding Officer	Signature of challenger on receiving refund of deposit
(7)	(8)	(9)	(10)

Date.....

.....

Signature of Presiding Officer

(Name.....)

*Strike off the inappropriate alternative.

25. In form 16, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 16

[See rule 52(1)]

DECLARATION BY THE COMPANION OF BLIND OR INFIRM VOTER

Election of Councillor form ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

I,.....son of.....
aged.....resident of.....
address.....
hereby declare that –

(a) I have not acted as Companion of any other voter at any Polling Station today;

(b) I will keep Secret the Vote recorded by me on behalf of

Name..... serial No. and Part No. of Voters' List.....

Place.....

Date..... Signature of Companion

(Name.....)

Countersigned

Presiding Officer

Polling Station No.....

*Strike off the inappropriate alternative.

26. In form 17, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 17

[See rule 54(2)]

LIST OF TENDERED VOTES

LIST OF TENDERED VOTES

Election of Councillor form Ward No.....of *Municipal Corporation/Council/Nagar Council.....

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

Number of Polling Station.....

S. No.	Name of Voter	Particulars of entry in the voters' List		Address of voters
		Part No. of Voters' List	S. No. of Voter	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Serial number of tendered ballot paper	Serial number of ballot paper issued to the person who has already voted.	Signature or thumb impression of person tendering vote
(8)	(9)	(10)

Date.....

.....

Signature of Presiding Officer

(Name.....)

*Strike off the inappropriate alternative.

27. In form 17-A, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 17-A

[See sub rule (1)(a) of rule 63K]

VOTER REGISTER

(where the polling shall be done by Electronic Voting Machine)

Election of Mayor/President and Councillor form ward no.....of

*Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

S. No.	Number of voter in the voters' list	The details of documents produced by the voter as a proof of his identity	Signature/ thumb impression of a voter	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Date.....

Signature of Presiding Officer

*Strike off the inappropriate alternative.

28. In form 18, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 18

[See rule 57]

BALLOT PAPER ACCOUNT

Election of Councillor form ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

*Election of Mayor Municipal Corporation/ President of Municipal Council/Nagar Council.....(No. and Name of Polling Station.....)

	Serial No.		Total No.
	From	To	
1. Ballot papers received by the presiding officer			
2. Ballot papers unused			
3. Ballot Paper used at the polling Station (1-2=3)			
4. Ballot papers used at the polling station but no INSERTED IN TO THE BALLOT BOX			
a. Ballot paper cancelled due to printing mistake			
b. Ballot papers used as tendered ballot papers.			
c. Ballot papers cancelled			
(a+b+c)			
Total			
5. Ballot papers to be found in the ballot box (3-4=5) (*Serial numbers need not be given)			

Place.....

Date.....

.....

Signature of Presiding Officer

*Strike off the inappropriate alternative.

Part-II RESULT OF INITIAL COUNTING

1. Total number of ballot papers found in the ballot box(es) used at the polling station.....
2. Discrepancy, if any, between the total number as shown against item 1 in this part and the total number of ballot papers to be found in the ballot box(es) as shown in item 5 to Part I.

Date.....

Signature of counting Supervisor

(Name.....)

.....

Signature of Returning Officer (Municipality)

(Name.....)

29. In form 18-A, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM – 18-A

[See rule 63Q]

Part-1 Account of recorded votes

The election of Mayor/President and election of Councillor form ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

The number and name of Polling Centre.....Control Unit No..... the Identity No.....of polling machine used, Polling Unit No.1..... 2..... Printer No. (if used)..... No of Detachable Memory Module.....

1. Total Number of Electoral fixed in the polling Centre
2. Total Number of Voters recorded in the voters' Register
3. The Number of voters recorded in voting Machine
4. The Number of voters who are not permitted to vote under the provision of rule 63L
5. The number of voters who have decided not to poll (2-3-4=5)
6. The number of tendered ballets

Serial Number

From.....To.....

(a) Received for use

(b) Issued to the Electoral

(c) Not used and taken back

7. Account of seals of paper Signature of Election Agent

1. The seals of paper Total Number 1.....
 Granted for use
 S. No. From.....To.....
2. Used seals of paper Total Number..... 2.....
 S. No. From.....To.....
3. The unused seals of paper returned to the 3.....

 Returning Officer total Number..... 4.....
 S. No. From..... to.....
4. The Seals of Paper total Number 5.....
 Destroyed if any S. No. from,..... to.....

6.....

Place.....

Date..... Signature of Presiding Officer

Polling Centre No.....

Part-2

RESULT OF PRELIMINARY CALCULATION

1. Total Number of votes found in Electronic Voting
 Machine used at the Polling Centre.
2. Any difference found in total number of votes shown.....
 In Head-1 of this part with Head-3 of part-1
 If any

Date.....

Place.....

Signature of the Calculating Supervisor

Name.....

Signature of the Returning Officer

(municipality)

Name.....

30. In form 19, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM—19

[See rule 63(2)]

APPLICATION FOR ELECTION DUTY BALLOT PAPER

Election of Councillor form Ward No.....of *Municipal Corporation/Council/Nagar Council.....

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

To,

The Returning Officer (Municipality)
.....
District.....

Sir,

I intend to cast my vote at the above mentioned Election.

I have been posted on Election duty at Polling Station No.....of ward no.....of *Municipal Corporation/Council/Nagar Council.....

2. My name is entered at Serial No.....of Part No.....of voter's list of ward No.....of the above mentioned *Municipal Corporation/Council/Nagar Council.

3. I request that an Election duty Ballot paper may be sent to me to enable me to vote at the following address:-

Address:
.....
.....
place
Date

Yours faithfully,
.....
(Name)

*Strike off the inappropriate alternative.

31. In form 19-A, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM—19-A
[See rule 63(4)(a)]

ENVELOPE-A

A

NOT TO BE OPENED BEFORM COUNTING

*Election of Mayor/President/Councillor for ward No.

of Municipal Corporation/council/Nagar Council.....

Election Duty Ballot Paper

Serial number of Ballot Paper.....

32. In form 19-B, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM—19-B
[See rule 63(4)(b)]

ENVELOPE-B

B

NOT TO BE OPENED BEFORM COUNTING

ELECTION-IMMEDIATE

*Election of Mayor/President/councillor for ward No.

of Municipal Corporation/council/Nagar Council.....

Election Duty Ballot Paper

To,

The Returning Officer (Municipality)

.....

Distt.....

Signature of Sender

33. In form 19-C, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM—19-C

[See rule 63(4)(C)]

DECLARATION BY VOTER ON ELECTION DUTY

Election of *Mayor/President/Councillor from Ward No.....of *Municipal Corporation/Council/Nagar Council.....District.....

I hereby declare that I am the voter to whom the Election Duty Ballot Paper bearing serial No.....has been issued at the above election.

Date.....

.....

SIGNATURE OF THE VOTER

(Name.....)

Address.....

.....

ATTESTATION OF SIGNATURE

The above has been signed in my presence by(voter) who is personally known to me/has been identified to my satisfaction by.....(Identifier) who is personally known to me.

Signature of Identifier. if any

.....

Signature of Attesting Officer

(Name)

(Name)

Designation.....

Address

Address

Date

*Strike off the inappropriate alternative.

34. In form 19-D, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM—19-D

[See rule 63(4)(d)]

INSTRUCTIONS FOR GUIDANCE OF VOTERS ON ELECTION DUTY

Election of *Mayor/President/Councillor from Ward No.....of *Municipal Corporation/Council/Nagar Council.....

The persons whose names are printed on the ballot paper sent here-with are candidates at the above election. Record your vote by placing clearly a mark opposite the name of the candidate to whom you wish to give your vote in the space provided for the purpose. The mark may be made in the form ' ✓ ' or ' X ' or in any other manner at such a place so as to indicate clearly and beyond doubt to which candidate you are giving your vote. If the mark is so placed as to make it doubtful to which candidate you have given your vote, your will be invalid.

2. Do not put your signature or write any word or make any sign of writing what so over on the ballot paper other than the mark required to record your vote.

3. After you have recorded your vote on the ballot paper the ballot paper in the smaller envelope marked 'A' sent herewith. Close the envelope and secure it by seal or otherwise.

4. You may then sign the declaration in Form 19C also sent herewith in the presence of and havc signature attested by any one of the officers specified below:-

(a)head of office where you are working. if you are a government servant of an employee of a Municipality or a government undertaking;

(b)any gazette officer known to you or the Presiding Officer of the polling station at which you are on election duty.

(c)any Revenue Officer not below the rank of a Naib Tahsildar.

you may take the declaration to any of the above mentioned specified officers and sign it in his presence after he has satisfied himself about your identity. the Officer will attest your signature and return the declaration to you. You must not show your ballot paper to the attesting officer nor tell him how have voted.

5. After your declaration has been signed and your signature has been attested, place the declaration in Form 19 C, as also the smaller cover marked 'A' (containing the ballot paper) in the larger envelope marked 'B' After closing the larger envelope. send it to the Returning Office (Municipality) by post or by messenger or deliver it to him personally. Please fill in all the entries on the larger envelope 'B' before sending it or handing it over to the Returning Officer (Municipality),

6. You must ensure that the envelope reaches the Returning Officer before (*) the hour and date fixed for the commencement of counting of votes that is before AM/PM on.....(Date)

7. Please note that-

(i)If you fail to get your Declaration attested or certified in the manner indicated above. your Ballot-Paper will be rejected;

(ii)If the cover reaches the Returning Officer (Municipality) after the hour and date specified before. your vote will not be counted.

35. In form 20, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM-20

[See rule 66 (10)]

RESULT OF COUNTING OF E.D. BALLOT PAPERS

Election of Conucillor from Ward No.....of *Municipal Corporation/Council/Nagar Council

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

S.No.	Name of candidate	Valid votes cast in favour of the candidate
(1)	(2)	(3)

2- (a) Total No. of E.D. votes.....

(b) Total No. of invalid E.D. votes.....

(c) Total No. of valid E.D. votes received.....

Signature of Returning Officer (Municipality)

Place..... (Name.....)

Date.....

* Strike off the in appropriate alternative.

36. In form 21, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM-21

[See rule 69 (2)]

RESULT OF COUNTING

Election of Conucillor from Ward No.....of *Municipal Corporation/Council/Nagar Council

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

Polling Station No.....

S.No. (1)	Name of candidate (2)	No. of Valid votes cast in favour of the candidate (3)

2- (a) Total No. of valid votes.....

(b) Total No. of invalid votes.....

(c) Total No. of votes cast

.....

Signature of counting Supervisor

(Name.....)

.....

Signature of Returning Officer (Municipality)

Place.....

(Name.....)

Date.....

* Strike off the in appropriate alternative.

37. In form 21-A, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM-21-A

[See rule 69B]

RESULT OF CALCULATION

(Where the polling shall be done by Electronic Voting Machine)

The election of Mayor/President and Councillor from Ward No.....of Municipal Council/Municipality/Municipal Corporation.....(To be filled in separately for Mayor/president and Councillor.)

Polling Centre No.....

S.No.	Name of candidate	The number of votes received as per The Election Control Unit
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

(a) Under/Number of no. voting.....

(b) The number of unfinished votes.....

(c) None of the above (NOTA).....

Signature of Calculating Supervisor
The name and full signature of Candidate/
Election Agent/Calculating Agent

Signature of Returning Officer
(Municipal Corporation)

Date.....

(Name.....)

Place.....

38. In form 22, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM-22

[See rule 69(3)]

FINAL RESULT SHEET

Election of Conucillor from Ward No.....of *Municipal Corporation/Council/Nagar Council*

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

FINAL RESULT SHEET

S. No.	Name of candidate	No. of valid E.D. votes cast in favour of the candidate	No. of valid Votes cast in favour of the candidate Polling Station wise (4)										Grand Total
(1)	(2)	(3)	P.N.	P.N.	P.N.	P.N.	P.N.	P.N.	P.N.	P.N.	P.N.	Total	(5)

2. (i) Total No. of valid Votes.....

(ii) Total No. of invalid Votes.....

(iii) Total No. of valid Votes cast..... Signature of Counting Supervisor

(iv) Total No. of valid E.D. Votes..... (Name.....)

(v) Total No. of invalid E.D. Votes..... Signature of Returning Officer (Municipal)

(vi) Total No. of E.D. Votes cast..... (Name.....)

(vii) None of the above (NOTA).....

Place.....

Date.....

39. In form 23, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM-23

[See rule 74]

DECLARATION-CUM-RETURN OF ELECTION

Election of Conucillor from Ward No.....of *Municipal Corporation/Council/Nagar Council*

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar Council.....

(1) RETURN OF ELECTION

S.NO.	NAME OF CANDIDATE	PARTY AFFILIATION	NO. OF VO POLLED
(1)	(2)	(3)	(4)

Total No. of voters.....

Total number of valid votes Polled.....

None of the above(NOTA) Total number of votes.....

Name of the above (NOTA) Total number of Votes.....

Total number rejected votes.....

Total number of tendered votes.....

(2) DECLARATION OF ELECTION ON THE BASIS OF RETURN

I declare that:

.....(Name)

Of.....(Address)

Has been duty elected.

.....

Returning Officer (Municipality)
(Name.....)

Place.....

Seal.....

Date.....

* Strike off the in appropriate alternative.

40. In form 24, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM-24

[See rule 75]

CERTIFICATE OF ELECTION

I. Returning Officer (Municipality) for the

Municipal Corporation/Council/Nagar Council District

.....hereby certify

that I have on.....day of
..... declared.

Shri./Smt./Ku.....

Resident of

*Sponsored by.....

(Name of recognized political party)

to have been duty elected as **Mayor/ President/Councillor from Ward No.....of
the (*) Municipal Corporation/Council/Council and

In token there of, I have granted to him/her this certificate of election.

.....

Returning Officer (Municipality)

.....

(Name.....)

Place.....

Date.....

Seal.....

* Strike off the in appropriate alternative.

41. In form 25, the following form shall be substituted, namely :-

"Form - 25
(see Rule 75-C)

OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER (MUNICIPALITY) DISTRICT.....
NOTICE OF ELECTION IN RELATION TO RECALL OF MAYOR/PRESIDENT

No.....Under sub-section (2) of Section-24 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956/Under sub-section (2) of Section-47 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961. the Government of Madhya Pradesh, Department of Urban Administration and Development Department has made a reference to the State Election Commission to conduct polling in relation to recall of the Mayor of municipal corporation...../President of Municipality/Nagar Council..... Shri/Smt.....on the ground that three fourths of the councillors have signed the motion for recalling.

Whereas Under sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act. 1956/ under sub-section (3) of Section 47 of the Madhya Pradesh Municipalities Act. 1961, the State Election Commission has directed me to arrange for polling, in relation to recall of the said Mayor/President in, accordance with the rules:

Therefore, in exercise of the powers conferred by Rule 75-C of Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam. 1994. I.....District Election Officer (Municipality) district..... hereby give notice for polling in relation to recall of the said Mayor/President Shri/Smt.....of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Council.....as follow:-

1) The polling shall be held on from.....A.M. to P.M.

2) The counting shall be held on at place.....from..... A.M. to P.M.

3) Shri.....Collector/Sub-Divisional Officer (Revenue) shall be Returning Officer for this polling.

PLACE:

District Election Officer(Municipality)

District.....

DATED: Name.....

42. In form 26, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM-26

(See Rule 75-F)

POLLING IN RELATION TO RECALL OF MAYOR/PRESIDENT

Polling in relation to recall of the Mayor/President Shri/ Smt.....of

Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Council.....

Name	Voting Options	Symbol
(1)	(2)	(3)
.....	A-For recall (To vacate office)	
.....		
	B- Against recall (To continue to hold office as before)	

PLACE: Returning officer (Nagarpalika)

DATED: Name.....

43. In form 27, the following form shall be substituted, namely :-

"Form - 27

(see Rule 75-H)

Declaration of result of polling in relation to recall of Mayor/President

Polling was held on.....in relation to recall of the Mayor/President Shri/Smt.....of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Council.....total votes were cast of which.....votes were in favour of recall and votes were againts recall and..... were found invail.

THEREFORE, I.....the Returning Officer hereby declare that more than half/less than half of the total number of voters casting their votes have cast votes in favour of recalling the Mayor/President, consequently the Mayor/President is deemed to have vacated the office/shall continue to hold office as before.

Place: Signature (Returning Officer).....

Dated: Name.....

Seal.....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.